(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3876/2018/रायसेन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 58/अपील/2014-15.

---

1. कुलदीपसिंह पुत्र चरणसिंह
   निवासी खजातनगर कॉलौनी, गुरदासपुर
   तहसील व जिला गुरदासपुर पंजाब
2. गुलाबसिंह पुत्र कुलदीपसिंह
3. ध्यानसिंह पुत्र कुलदीपसिंह
   दोनों निवासी खजातनगर कॉलौनी, गुरदासपुर
   तहसील व जिला गुरदासपुर पंजाब ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. गुरिन्दर सिंह पुत्र सरदार गुरदीप सिंह
   निवासी कस्बा व तहसील बाड़ी
   जिला रायसेन
2. अजीत सिंह आत्मज चरणसिंह
   निवासी वार्ड नम्बर 12 कस्बा बाड़ी
   तहसील बाड़ी जिला रायसेन ....अनावेदकगण

श्री एच.आर. पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

श्री सुजीत कुमार जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 31-3-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा ग्राम घोट तहसील बरेली जिला रायसेन की नामांतरण पंजी क्रमांक 3 प्रविष्टि दिनांक 29-1-06 प्रमाणित आदेश दिनांक 28-2-06 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,

बरेली जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1-7-09 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/अपील/08-09 पंजीबद्ध कर दिनांक 22-5-10 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 गुरिन्दर सिंह द्वारा अपर कलेक्टर, रायसेन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30-6-2014 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक क्रमांक 1 कुलदीप सिंह द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा 31-3-2018 को आदेश पारित कर निगरानी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. आवेदक पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि रजि. विक्रय पत्र से जून 2004 में क्रय की गई तथा मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व अभिलेख में नामांतरण स्वीकृत होकर नाम दर्ज हो गये थे, इसमें यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भूमि क्रय करने के दौरान आवेदक क्र. 2 एवं 3 नाबालिग थे। इसलिए आवेदक क्र. 1 पिता होने से नैसर्गिक संरक्षक दस्तावेज एवं अभिलेख में अभिलिखित रहा।

2. वादग्रस्त भूमि का कुछ भाग आवेदक क्र. 1 ने बहैसियत मुख्तारआम अनावेदक क्र. 2 के नाम क्रय किया था। अनावेदक क्र. 2 ने अनावेदक क्र. 1 से मिली भगत कर दिनांक 09.01.2016 को ग्राम घोंट की नामांतरण पंजी क्रमांक 3 पर आधारहीन पारिवारिक बंटवारे का उल्लेख करते हुए इस आशय से प्रविष्टि कराई कि आवेदक क्र. 2 एवं 3 (जो नाबालिग दर्ज थे) साथ अनावेदक क्र. 2 के नाम की भूमि शामिल करते हुए सम्पूर्ण भूमि अनावेदक क्र. 1 के नाम दर्ज करा दी गई, जिसकी आवेदक क्र. 1 को कोई सूचना नहीं दी गई। अनावेदक क्र. 2 का आवेदक पक्ष में कोई रिश्ता नहीं है।

3. आवेदक की ओर से जानकारी होने पर एक अपील उपरोक्तानुसार पंजी पर बंटवारा आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 72/अपील/08-09 प्रस्तुत की गई। यह अपील समयावधि में सुनवाई हेतु आदेश दिनांक 22.05.2010 द्वारा समयावधि में ग्राह्य कर ली गई।

4. उपरोक्तानुसार प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 22.05.2010 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 54/अपर कलेक्टर/09-10 प्रस्तुत की गई थी। निगरानी में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश स्पष्ट किया गया कि अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण

उनका वैधानिक पक्ष श्रवण किया जाना संभव नहीं हो सका है। विलंब का कोई सारगर्भित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रथम अपील न्यायालय में विरोधी पक्ष के शपथ पत्र का उल्लेख करते हुए कि अपील वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत की गई है, के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 22.05.2010 को विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है।

5. अपर कलेक्टर के निगरानी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के अवैध तरीके से अपील प्रस्तुत कर मामले को अविलम्बित करने का प्रयास किया गया। चूंकि अपील प्रचलन योग्य न होने से अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 31.03.2018 द्वारा अस्वीकार की गई है।

6. अनावेदक क्र. 1 प्रभावशाली परिवार से है, उसने अपने प्रभाव से आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि अवैध तरीके से पारिवारिक बंटवारे के नाम पर अपने नाम करा ली तथा आवेदक पक्ष को वापस पंजाब भगा दिया और अपने प्रभाव से आवेदक पक्ष को न्याय न मिले इस हेतु प्रयासरत है। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार न कर तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण किया है। आवेदक पक्ष के विरूद्ध नामांतरण पंजी पर जो आदेश पारित किया गया है। ऐसे आदेश पर परिसीमा विधान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपर कलेक्टर का आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 30-5-2019 को उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किए जाने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करें, किन्तु अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अत: प्रकरण का निराकरण आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में तहसील न्यायालय की नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी पर बटवारे के नाम पर आवेदक पक्ष की भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के नाम दर्ज की गई है, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 न तो मूल भूमिस्वामी का सहखातेदार है और न ही पारिवारिक सदस्य । बिना किसी वैध अन्तरण दस्तावेज के इस प्रकार की कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही अवैध होकर निरस्त किए जाने योग्य है तथा इस प्रकार की अवैध कार्यवाही के सम्बन्ध में समय-सीमा की बाधा नहीं आती है । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील समय-सीमा में मानने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर कलेक्टर ने प्रकरण की उक्त अनियमितताओं की अनदेखी

करते हुए समय बाह्य मानने में त्रुटि की है । वास्तव में तो उन्हें तहसील न्यायालय की कार्यवाही को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना चाहिए था । अपर आयुक्त ने भी मात्र क्षेत्राधिकार का बिन्दु देखा है, जबकि उन्हें भी स्वमेव निगरानी के अधिकार प्राप्त थे । अनावेदक पक्ष ने किसी भी स्तर पर कोई स्वत्व अर्जन का दस्तावेज पेश नहीं किया । मात्र पंजी पर भूमिस्वामी की सहमति कोई स्वत्व नहीं देती है । वैसे भी आवेदक ने उसके हस्ताक्षर कूटरचित/फर्जी बताया है । उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 3 प्रविष्टि दिनांक 29-1-06 प्रमाणित आदेश दिनांक 28-2-06, अपर कलेक्टर, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2014, अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 31-3-2018 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर